अत्यन्त महत्वपूण

संख्या-19/2018/1923/60-1-2018

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 12 अगस्त, 2018**

विषयः- पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र वंचित लाभार्थियों का सर्वेक्षण कराये जाने एवं वेबसाईट पर डाटा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया ग्राम्य विकास अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-163/38-10-2018-9/18 टी0सी0, दिनांक 25 जुलाई, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं में पात्र वंचित लाभार्थियों का निर्धारित प्रारूप पर सर्वेक्षण जनपद-स्तर पर कराये जाने हेतु MS-EXCEL पर प्रारूप तैयार कराकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

2- इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के पात्र वंचित महिलाओं के सर्वेक्षण हेतु MS-EXCEL पर प्रारूप तैयार कराकर हार्ड कापी में संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया अपने निर्देशन में उक्त प्रारूप पर सर्वे कराते हुये ग्रामवार एवं लाभार्थीवार आंकड़े संकलित कर विभागीय वेबसाइट में जनपदवार उपलब्ध कराये गये लिंक पर अपलोड कराने का कष्ट करें। उक्त योजना पूर्णतया ऑनलाइन है, अतएव पात्र महिला लाभार्थियों के ऑनलाइन फार्म भी भरवाने का कष्ट करें।

भवदीया

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-19/2018/1923(1)/60-1-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विभागीय वेबसाईट पर जनपदवार अपलोड करने की सूविधा उपलब्ध करायें।

2- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/ समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- गार्ड फाइल।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।